

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जनवरी-मार्च, 2010 सत्र

मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रम अधिकारियों द्वारा बालको संयंत्र का निरीक्षण

1. (*क्र. 691) श्री रविन्द्र चौबे : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा बालको संयंत्र का वर्ष 2008 एवं 2009 में (दिनांक 20-12-2009 तक) निरीक्षण किया गया है ? (ख) यदि हां, तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम तथा निरीक्षण दिनांक बतावें ? (ग) क्या निरीक्षण अवधि में श्रम कानून का उल्लंघन करने के प्रकरण पाये गये ? यदि हां, तो प्रबंधन के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी हां, (ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है, (ग) जी हां, निर्धारण अवधि में श्रम कानूनों के उल्लंघन पाये गये थे, जिस हेतु कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध अभियोजन दायर किये गये,

दुर्ग जिले में अटल ज्योति योजना के तहत स्वीकृत राशि तथा स्थापित ट्रांसफार्मर

2. (*क्र. 804) श्री दयाल दास बघेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में अटल ज्योति योजना के तहत कुल कितनी राशि स्वीकृत है ? दिनांक 20-01-2010 की स्थिति में उक्त योजना के तहत कितने कि.मी. लाईनों का कार्य किया गया है तथा कितने नग ट्रांसफार्मर लगाये जा चुके हैं ? (ख) कितने ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाना एवं कितनी लाईनों का विस्तार किया जाना शेष है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले में अटल ज्योति योजना के तहत कुल 168.17 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है, दिनांक 20-01-2010 की स्थिति में 2336 कि.मी. 11 केव्ही फीडर लाईन, 488 कि.मी. निम्नदाब वितरण लाईन एवं 1082 नग ट्रांसफार्मर लगाये जा चुके हैं, (ख) 1405 नग ट्रांसफार्मर एवं 3035 कि.मी. 11 केव्ही फीडर लाईन तथा 980 कि.मी. निम्नदाब वितरण लाईन का कार्य किया जाना शेष है,

आरंग विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूप खनन का लक्ष्य

3. (*क्र. 619) श्री रूद्रकुमार गुरू : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के कुल कितने बोर हैं ? कितने बोर का पानी पीने योग्य नहीं है ? कितने बोर खराब हैं ? कब तक सुधार लिया जावेगा ? (ख) वर्ष 2009-10 में कितने बोर खोदने का लक्ष्य है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल के कुल 2071 सामुदायिक नलकूप (बोर) हैं, निरंक. सभ्धी नलकूप (बोर) का पानी पीने योग्य है, 04 नलकूप (बोर) वर्तमान में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण खराब हैं, सुधार करने योग्य नहीं हैं, (ख) वर्ष 2009-2010 में आरंग विधान सभा क्षेत्र में 99 नलकूप (बोर) खोदने का लक्ष्य है,

क्वक बोर्ड के सम्पत्तियों के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति

4. (*क्र. 747) श्री मोहम्मद अकबर : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2004-2006,

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 एवं 2008-2009 में रायपुर एवं बिलासपुर जिले में वक्फ बोर्ड की कहां-कहां की कौन-कौन से संपत्ति को बेचने की अनुमति किसको-किसको, किस-किस आधार पर, किस-किस के पक्ष में, कितनी-कितनी राशि में विक्रय हेतु दी गई है ? (ख) उक्त अवधि में वर्षवार किनको-किनको, कब-कब, कहां-कहां की कौन-कौन सी दर्ज वक्फ संपत्तियों से बेदखल/अवैध खरीद-बिक्री के संबंध में कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया है ? प्रकरणों की अलग-अलग अद्यतन स्थिति क्या-क्या है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी नहीं. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार.

रायगढ़ एवं जशपुर जिला में संचालित छात्रावास, आश्रम एवं आवासीय विद्यालय की निर्धारित क्षमता

5. (*क्र. 486) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिला में वर्तमान में कुल कितने-कितने छात्रावास, आश्रम एवं आवासीय विद्यालय संचालित हैं ? प्रत्येक जिले की स्थानवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांक "क" में उल्लेखित संस्थाओं में कितने संस्थान में निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं को रखा गया है ? (ग) जिन छात्रावासों, आश्रमों एवं आवासीय विद्यालयों में अतिरिक्त छात्र-छात्राएं रखी गई हैं, वहां कब तक नये आवास की व्यवस्था कर ली जायेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिला में वर्तमान में निम्नानुसार छात्रावास, आश्रम एवं आवासीय विद्यालय संचालित हैं :-

संस्था का प्रकार	संचालित संस्थाओं की संख्या		
	जिला रायगढ़	जिला जशपुर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
छात्रावास	129	111	240
आश्रम	45	81	126
आवासीय विद्यालय	01	01	02
योग	175	193	368

जिलेवार, स्थानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) 09 संस्थाओं में निर्धारित क्षमता (स्वीकृत सीट) से अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं को रखा गया है. (ग) अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को केवल ऐसे संस्थाओं में ही प्रवेश दिया गया है जहां पूर्व से भवन की व्यवस्था है. अतः नये आवास की व्यवस्था करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

प्रशिक्षित गौ-सेवकों को प्रदत्त मानदेय राशि

6. (*क्र. 770) **श्री तादप्रध्वज साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में कितने प्रशिक्षित गौ सेवक कार्यरत हैं ? (ख) गौ सेवकों को कितनी मानदेय राशि प्रदान की जाती है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) दुर्ग जिले में 599 प्रशिक्षित गौ सेवक कार्यरत हैं. (ख) गौ सेवकों को कोई मानदेय राशि प्रदान नहीं की जाती.

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रों में अवैध पत्थर उत्खनन पर कार्यवाही

7. (*क्र. 344) **श्री वैदूराम कश्यप :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किस-किस खसरा नम्बर के कुल कितने रकबे की खदान किस-किस व्यक्ति को पत्थर उत्खनन के लिए किस अवधि तक के लिए पट्टे पर दिया गया है ? (ख) क्या उक्त क्षेत्र में वर्ष 09-10 में पट्टाधारियों सहित अन्य लोगों के द्वारा अवैध उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? (ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर दर्शित है. (ख) जी हां. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" पर दर्शित है.

प्रदेश में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशकों के वितरण का निर्धारित लक्ष्य

8. (*क्र. 847) श्री राजकमल सिंघानिया : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 2009-10 में प्रदेश में उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के वितरण का लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में कितना-कितना लक्ष्य था एवं लक्ष्य के विरुद्ध कितना-कितना उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का वितरण किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : वर्ष 2009-10 के लिये प्रदेश में खरीफ एवं रबी मौसम हेतु जिलेवार उर्वरक एवं बीज वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं. कीटनाशकों के लिए वितरण लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है. उर्वरक एवं बीज के निर्धारित लक्ष्य एवं दर्शित अर्वाध तक वितरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वितरण	इकाई	खरीफ 2009			रबी 2009-10 (जनवरी अंत तक)		
			लक्ष्य	भंडारण	वितरण	लक्ष्य	भंडारण	वितरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उर्वरक	मे. टन	9,12,000	10,23,026	9,27,976	2,55,550	1,57,279	91,284
2.	बीज	क्विं.	3,50,000	3,72,708	3,64,292	78,444	84,009	83,322

जिलेवार बीज एवं उर्वरकों के लक्ष्य एवं दर्शित अर्वाध तक वितरण की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में है.

सरगुजा जिले के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत छात्रावासों/आश्रमों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

9. (*क्र. 642) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावासों/आश्रमों में अधीक्षक, भृत्य एवं रसोइया के कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने भरे गये हैं ? कितने रिक्त हैं ? (ख) रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सरगुजा जिले के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रावासों/आश्रमों में अधीक्षक, भृत्य एवं रसोइया के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पद निम्नानुसार हैं :-

छात्रावास स्थापना :-

पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
छात्रावास अधीक्षक	27	27	00
भृत्य	00	00	00
रसोइया	27	27	00

आश्रम स्थापना :-

पदनाम	स्वीकृत	भरे	रिक्त
आश्रम अधीक्षक	15	15	00
भृत्य	00	00	00
रसोइया	15	13	02

(ख) रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

रायगढ़ जिले में कोयला तस्करी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

10. (*क्र. 904) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 में जून 09 से 30 दिसम्बर, 09 तक रायगढ़ जिले में अवैध कोयले की तस्करी के कितने प्रकरण कब-कब, कहाँ-कहाँ, किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में एवं किन-किन वाहनों के साथ पकड़े गये ? (ख) उक्त अवधि में पकड़े गये कोल तस्करो एवं वाहनों के विरुद्ध 20-01-2010 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है या किया जाना शेष है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय परिशिष्ट पर दर्शित है.

रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित औद्योगिक इकाईयां

11. (*क्र. 538) **श्री नंदकुमार साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन सी औद्योगिक इकाईयां कब से स्थापित है, और उनके द्वारा किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है ? (ख) कितनी औद्योगिक इकाईयां बंद हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित एवं कार्यरत 1273 औद्योगिक इकाईयां एवं उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 पर दर्शित है. इसके अतिरिक्त बंद 171 इकाईयां की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर दर्शित है. इस तरह कुल इकाईयां की संख्या 1444 है. (ख) 171 औद्योगिक इकाईयां बंद हैं.

अवैध कोयला परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

12. (*क्र. 858) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में 21 जनवरी, 2010 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध कोयला परिवहन के कुल कितने प्रकरण खनिज विभाग एवं पुलिस ने बनाये हैं ? इन प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? वर्षवार, जिलेवार विवरण दें. (ख) जिला-बिलासपुर, जिला-रायपुर, जिला-कोरबा, जिला-जांजगीर-पाप्पा एवं जिला-दुर्ग में कौन-कौन व्यक्ति या संस्थान कोयला डम्पिंग का कार्य कर रहे हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में 21 जनवरी, 2010 तक राज्य में अवैध कोयला परिवहन के कुल 399 प्रकरण खनिज विभाग एवं पुलिस ने बनाये हैं. इन प्रकरणों में से 164 प्रकरण न्यायलय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये हैं एवं 235 प्रकरणों में प्रहसन कर रुपये 67,49,718.00 सम्प्रेषित राशि वसूल किया गया है. वर्षवार, जिलेवार विवरण † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पदांकन संबंधी

13. (*क्र. 650) **श्रीमती निलिमा सिंह टेकाम** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिमजाति कल्याण विभाग में स्कुल शिक्षा विभाग की तरह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदांकन करने का प्रावधान है ? अगर हां, तो दुर्ग जिला में कितने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी हैं, जो शासन के नीति नियम के अनुसार पात्र हैं एवं कितने अपात्र हैं ? पात्र-अपात्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी का (प्राचार्य का अनुभव अर्थात्) एवं नाम सहित विकासखण्डवार जानकारी बतावें. (ख) क्या पांच वर्षों से कम का अनुभव रखने वाले प्राचार्य को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किये गये विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के पद से मुक्त कर पात्रता रखने वाले वरिष्ठ प्राचार्य को पदांकन करने की कार्यवाही करेंगे ? अगर हां, तो कब तक की जावेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जी नहीं. (ख) प्रश्नांक "क" के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

वर्ष 2009 में खरीफ फसल का उत्पादन

14. (*क्र. 521) श्री हृदयराम राठिया : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009 में खरीफ की फसल का कुल कितनी उत्पादन हुआ है ? जिलेवार जानकारी दें। (ख) प्रदेश में वर्ष 2009 में कुल कितने हेक्टेयर में धान की फसल ली गई ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) वर्ष 2009-10 में किसानों से समर्थन मूल्य पर कितना धान खरीदा गया ? जिलेवार जानकारी दें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) वर्ष 2009 में खरीफ फसल का कुल उत्पादन 51,04,618 मेट्रिक टन हुआ। जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है। (ख) प्रदेश में वर्ष 2009 में कुल धान की फसल 39,28,815 हेक्टेयर में ली गई। जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर है। (ग) वर्ष 2009-10 में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है।

जांजगीर-चांपा जिले के विकासखण्डों में स्वीकृत नल-जल योजनाएं

15. (*क्र. 813) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मार्च, 2007 से मार्च, 2009 तक जांजगीर-चांपा जिले के किन-किन विकासखण्डों के कौन-कौन से गांव में शासन द्वारा कितनी-कितनी राशि की नल-जल योजना स्वीकृत है ? (ख) स्वीकृत योजनाओं में से किन-किन ग्रामों में योजनाएं पूर्ण हो गई हैं ? कितनी योजनाएं अपूर्ण हैं ? अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार, (ख) स्वीकृत योजनाओं में पूर्ण हो गई योजनाओं की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार, 8 गांव की योजनाएं अपूर्ण हैं, अपूर्ण रहने के कारणों की ग्रामवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार।

पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु चयनित ग्राम

16. (*क्र. 477) श्री रामपुकार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों का चयन किया गया है ? (ख) प्रश्नांक (क) के अंतर्गत इन ग्रामों हेतु कितने-कितने विद्युत खम्भों/ट्रांसफार्मरों की स्वीकृति प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र के 179 ग्राम, जसपुर जिले हेतु प्रस्तावित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में समाहित है, जिसकी स्वीकृति अप्राप्त है। (ख) उत्तरांक "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युतीकरण

17. (*क्र. 313) श्री दीपक कुमार पटेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल 1 द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण बी.आर.जी.एस. अथवा मजराटोला विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों/मजराटोलों में वर्ष 2009-10 में दिनांक 13-01-2010 तक विद्युतीकरण किया गया है ? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) वर्ष 2010-11 में कितने ग्रामों में किया जाना प्रस्तावित है ? (ग) कोरिया जिले में अविद्युतीकृत मजराटोला की संख्या कितनी है ? विकासखण्डवार जानकारी दी जाये ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2009-10 में 13-01-2010 तक मनेन्द्रगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कोरिया जिले में भारत सरकार से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति नहीं होने से किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया गया है, लेकिन बी.आर.जी.एस., (बी.आर.जी.एस. नहीं), योजना में इस विधान सभा क्षेत्र के 01 ग्राम यथा पाराडोल के बड़काबहरा में तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित की मजरा/टोला योजना-अंतर्गत 01 ग्राम यथा बैरागी में विद्युतीकरण कार्य प्रश्नाधीन अवधि में पूर्ण किये गये हैं। (ख) योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण वर्ष 2010-11 में ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं है। (ग) कोरिया जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत तैयार किये गये विस्तृत प्रतिवेदन अनुसार अविद्युतीकृत मजरा/टोलों की संख्या 1829 है। विकासखण्डवार जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है।

जिला रायपुर एवं जांजगीर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावास एवं आश्रम

18. (*क्र. 733) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर एवं जांजगीर जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने छात्रावास एवं आश्रम हैं ? नाम सहित विकासखण्डवार स्वीकृत सीट संख्या सहित बतायें ? (ख) उक्त छात्रावास/आश्रमों में कितने भवनविहीन हैं ? विकासखण्डवार नाम सहित बतायें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "एक" पर है. (ख) 119 संस्था भवन-विहीन हैं. विकासखण्डवार नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "दो" पर है.

जिला कोरबा में विद्युत गृहों की स्थापना हेतु स्वीकृति तथा अधिग्रहित भूमि

19. (*क्र. 498) **श्री बोधराम कंवर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में कहां-कहां और कितनी-कितनी क्षमता के विद्युत गृहों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दी जाए. (ख) उपरोक्त विद्युत गृहों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी शासकीय भूमि व निजी भूमि अर्जित की गई है व अर्जित किया जाना प्रस्तावित है ? योजनावार जानकारी दें

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कोरबा जिले में निर्माणाधीन, स्थापना हेतु प्रस्तावित विद्युत गृहों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में है. (ख) ऊपर क में सम्मिलित विभिन्न विद्युत गृहों के निर्माण हेतु चाही गई भूमि का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" में है.

प्रदेश में अवैध हीरा उत्खनन के पंजीबद्ध प्रकरण

20. (*क्र. 688) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक अवैध हीरा उत्खनन के कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं ? (ख) कितने पर कार्यवाही की गई तथा अर्धदण्ड के रूप में शासन को कितनी राशि प्राप्त हुई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

बस्तर जिले में संचालित विद्यालय भवनों की स्थिति

21. (*क्र. 248) **श्री संतोष बाफना** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखण्ड में कितने शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल 30 दिसम्बर, 2009 की स्थिति में संचालित हैं ? दर्ज छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की क्या-क्या व्यवस्था है ? (ख) कितने शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में भवन नहीं हैं ? नाम सहित बतायें ? भवन कब तक बना दिये जायेंगे ? (ग) हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" पर ‡ संलग्न है. (ख) 04 हायर सेकेण्डरी, (1) हायर सेकेण्डरी स्कूल जामवाड़ा, (2) हायर सेकेण्डरी स्कूल नियानार, (3) हायर सेकेण्डरी स्कूल पण्डरीपानी, (4) हायर सेकेण्डरी स्कूल रेलवे कालोनी जगदलपुर. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) जानकारी प्रपत्र "ब" पर ‡ संलग्न है.

132 एवं 220 के.व्ही.ए. ट्रांसमिशन लाईन के निविदाकर्ता का योग्यता मापदण्ड

22. (*क्र. 837) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2008-2009 एवं 01-04-09 से 15 दिसम्बर, 2009 तक 132 एवं 220 के. व्ही. ए. ट्रांसमिशन लाईन के लिये कौन-कौन से कितनी राशि के टेण्डर किम-क्रिड के स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) 132 एवं 220 के.व्ही.ए. ट्रांसमिशन लाईन के निविदाकर्ता की योग्यता मापदण्ड के सुधार हेतु माह अगस्त 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी/ऊर्जा मंत्री एवं विभाग को निविदा, योग्यता मापदण्ड के संबंध में क्या कोई शिक्षायत/अज्ञेदन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नावधि में 132 एवं 220 के.व्ही.ए. ट्रांसमिशन लाईन के 09 टेण्डर स्विकृत किये गये हैं, रात एवं फर्म के नाम † संलग्न परिशिष्ट में हैं. (ख) जी हां. माननीय विधायक श्री देवजी पटेल द्वारा अगस्त, 2009 में तथा मेसर्स युनिक स्ट्रक्चर एण्ड टावर्स लिमिटेड, भिलाई द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2009 को ट्रांसमिशन लाईन हेतु आमन्त्रित निविदाओं के सम्बन्ध में शिकायत प्रेषित की गई. दोनों पत्रों में निविदा क्रमांक टीआर-09/15 एवं टीआर-09/16 में अनुभव व योग्यता के मापदण्डों में किये गये संशोधनों की शिकायत थी. उक्त दोनों निविदा के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि उक्त दोनों निविदाओं में सम्मिलित मापदण्डों व अनुभव से सम्बन्धित सभी शर्तों पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त किया जाकर निविदाएँ आमन्त्रित की गई तथा इसके पश्चात् मापदण्डों में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है. अतः शिकायत पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है.

सीमेंट उद्योगों में वेज बोर्ड के तहत कार्यरत श्रमिक

23. (*क्र. 423) **श्री सौरभ सिंह :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य के सीमेंट उद्योगों में सीमेंट वेज बोर्ड अधिनियम लागू है ? यदि हां, तो राज्य में किन-किन सीमेंट उद्योगों में कितने श्रमिक सीमेंट वेज बोर्ड के तहत कार्यरत है ? (ख) कंडिका (क) में उल्लेखित सीमेंट उद्योगों में कितने बदली मजदूर कार्यरत हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर राहू) : (क) राज्य में निम्नलिखित श्रमिक सीमेंट वेज बोर्ड के तहत कार्यरत हैं :-

क्रमांक	सीमेंट उद्योग का नाम	सीमेंट वेज बोर्ड के तहत कार्यरत श्रमिक संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	ग्रासीम सीमेंट रावन, जिला-रायपुर	390
2.	अल्ट्राटेक सीमेंट लि. हिरमी	273
3.	साफार्ज इण्डिया प्रा. लि., सोनाडीह	419
4.	सेन्चुरी सीमेंट, बैकुण्ठ	663
5.	अंबुजा सीमेंट, रवान, बलौदाबाजार	473
6.	साफार्ज इण्डिया प्रा. लि. अरसमेटा सीमेंट वर्क्स, जांजगीर-चांपा	638
7.	मेसर्स ए.सी.सी. जामुल सीमेंट, जामुल, दुर्ग	524

(ख) कंडिका (क) में उल्लेखित सीमेंट उद्योगों में से सेन्चुरी सीमेंट बैकुण्ठ जिला रायपुर में 59 बदली मजदूर तथा मेसर्स साफार्ज इण्डिया प्रा. लि. अरसमेटा सीमेंट वर्क्स जांजगीर-चांपा में 101 बदली मजदूर कार्यरत हैं.

बागवानी फसलों हेतु केन्द्र द्वारा प्राप्त अनुदान

24. (*क्र. 886) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बागवानी फसलों के बढ़ावा के लिए वर्ष 2006 से 31 दिसम्बर, 09 तक केन्द्र शासन ने किन-किन फसलों के लिए कितना-कितना अनुदान दिया ? (ख) कंडिका "क" की योजना के तहत किन-किन जिलों का चयन किया गया और कितने किसानों को इसका लाभ मिला, जिलेवार बतावें ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर राहू) : (क) वर्ष 2006 से 31 दिसम्बर, 2009 तक केन्द्र शासन ने फसल विकास योजना अंतर्गत आम, लीची, नींबू, काजू, सीताफल, केला, आंवला, सन्जी विकास योजना अंतर्गत भिण्डो, टमाटर, बैंगन, लौकी, पलंगोभी, प्याज, मसाला विकास योजना अंतर्गत मिर्च, हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी आदि, औषधि एवं सुगंधित फसल विकास योजना अंतर्गत एलोवेरा, सेमनग्रास, खम, पामारोजा, जामारोजा, पपीली, ई-सिट्रीडोर, पुष्प विकास योजना अंतर्गत गेंदा, सेवंती, गैलार्डिया, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस, गुलाब, जरबेरा एवं राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए कुल राशि रु. 10,436.80 लाख का अनुदान संचालनालय उद्यानिकी के माध्यम से दिया. विस्तृत विवरण †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) उक्त योजनाओं के तहत राज्य के सभी 18 जिलों का चयन किया गया एवं 1,68,193 किसानों को योजना का लाभ दिया गया. जिलेवार विवरण †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों की स्थिति

25. (क्र. 826) महंत रामसुन्दर दास : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हसीद के तेंदुवाही तालाब भाठापारा, ग्राम पोंडीशंकर (परसापाली), ग्राम चौरभट्टी, करवीट, बेलादुका, खैरझिटी, कचंदा मोड़ जैजैपुर, परसदा व चिस्टा के बीच एवं सेन्द्रस के पुराने बस्ती में लगे ट्रांसफार्मर कब से बिगड़े पड़े हैं ? (ख) उक्त ग्रामों के समस्त ट्रांसफार्मरों को कब तक बदलकर विद्युत की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर दी जायेगी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पोंडीशंकर (परसापाली), चौरभट्टी, करवीट, बेलादुका (बेलादुका नहीं), कचंदा मोड़ जैजैपुर, सेन्द्रस के पुरानी बस्ती में स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित तिथि से विफल हुए थे, जबकि ग्राम हसीद के तेंदुवाही तालाब भाठापारा, खैरझिटी, परसदा व चिस्टा के बीच में स्थापित ट्रांसफार्मर विफल नहीं हुए थे, अपितु † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कारण एवं दिनांक से विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आया था. (ख) प्रश्नाधीन ग्रामों के ट्रांसफार्मरों में से 6 विफल ट्रांसफार्मरों को बदलकर तथा अन्य 03 ट्रांसफार्मरों से संबंधित खराबियों का आवश्यक रखरखाव एवं सुधार कार्य किया जाकर † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई तिथियों को विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर दी गई है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 691) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	कारखाने का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	कार्यवाही का विवरण (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भारत एल्युमिनियम कं. लि. कोरबा (स्मेल्टर 2)	25-01-08 31-1-08	श्री मनीष श्रीवास्तव	प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 7ए(2)ए, 7ए2(सी), 7ए2(डो) के उल्लंघन के लिए प्रकरण श्रम न्यायालय कोरबा में दिनांक 25-4-08 को दायर किया गया है.
2.	भारत एल्युमिनियम कं. लि. कोरबा (स्मेल्टर 1)	31-1-08	श्री मनीष श्रीवास्तव	कारखाने का निरीक्षण कर दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया गया.
3.	भारत एल्युमिनियम कं. लि. कोरबा (स्मेल्टर 2)	8-3-08	श्री मनीष श्रीवास्तव	कारखाने में घटी श्री रूपेन्द्र साहू की सड़क दुर्घटना में कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी.
4.	270 मेगावाट बी.सी.पी.पी बाल्को कोरबा, भारत एल्युमिनियम कं. लि.	19-6-08	श्री मनीष श्रीवास्तव	प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 7ए (1), धारा 7ए 2 (सी), नि. 73 ई के उल्लंघन के लिए प्रकरण श्रम न्यायालय कोरबा में दिनांक 26-8-08 को दायर किया गया है.
5.	270 मेगावाट बी.सी.पी.पी बाल्को कोरबा, भारत एल्युमिनियम कं. लि.	15-9-08	श्री मनीष श्रीवास्तव	प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 7ए (1), धारा 7ए 2 (ए), धारा 7ए 2 (डो) के उल्लंघन के लिए प्रकरण श्रम न्यायालय कोरबा में दिनांक 10-12-08 को दायर किया गया है.
6.	भारत एल्युमिनियम कं. लि. कोरबा (स्मेल्टर 2)	16-9-08	श्री मनीष श्रीवास्तव	प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 7ए(2) ए, 7ए(2) (सी) के उल्लंघन के लिए प्रकरण श्रम न्यायालय कोरबा में दिनांक 8-11-08 को दायर किया गया है.
7.	भारत एल्युमिनियम कं. लि. कोरबा (स्मेल्टर 1)	15-12-08	श्री मनीष श्रीवास्तव	कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी.
8.	भारत एल्युमिनियम कं. लि. केप्टीव्हा पावर प्लांट 3 (1200 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट) कोरबा.	15-12-08	श्री मनीष श्रीवास्तव	निर्माणधीन पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया गया.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	भारत एल्युमिनियम कं लि. 1200 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोरबा.	6-4-09	श्री मनोप श्रीवास्तव	प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 7ए(1), 7ए2 (ए), धारा 28 उपधारा 1 (ई) के उल्लंघन के लिए प्रकरण भ्रम न्याया. कोरबा में दिनांक 4-7-09 को दायर किया गया है.
10.	भारत एल्युमिनियम कं लि. 1200 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोरबा.	5-5-09	श्री मनोप श्रीवास्तव	प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 7ए 2(ए), 7ए2 (सी), नियम 3ए (1), नि. 3ए (3), धारा 7ए (1) के उल्लंघन के लिए दो प्रकरण भ्रम न्यायालय कोरबा में दिनांक 4-8-08 को दायर किया गया है.
11.	भारत एल्युमिनियम कं लि. 1200 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोरबा.	23-9-09 24-9-09	श्री रज्जू कुमार भोई	प्रबंधन के विरुद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 6 व 7 सपनि. 3 (क) (1), धारा 41 स. पनि. 73 (ग), धारा 7क (2) (ग), धारा 7 क (2) (घ), धारा 88 स. प. नि. 108 के उल्लंघन के लिए दो प्रकरण भ्रम न्यायालय कोरबा में दिनांक 10-12-09 को दायर किये गये हैं.

बालको संयंत्र के ठेका संस्थानों के संयंत्र के संबंध में निरीक्षण/अभियोजन विवरण वर्ष 2000 एवं 2009

क्रमांक	निरीक्षणकर्ता का नाम	निरीक्षण दिनांक	निम्न क्रम अधिनियमों के अंतर्गत			कुल योग निरीक्षण/ अभियोजन
			न्यूनतम वेतन अधिनियम निरीक्षण/ अभियोजन	संवैदा श्रमिक अधिनियम निरीक्षण/ अभियोजन	अंतर्राष्ट्रिक प्रवासो कर्मकार अधिनियम निरीक्षण/अभियोजन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	1-3-2008	01/01	06/-	-	07/01
2.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	6-3-2008	01/-	02/-	-	03/-
3.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	15-03-2008	02/02	-	-	02/02
4.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	31-03-2008	01/01	05/-	-	06/01
5.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	04-08-2008	-	-	01/-	01/-
6.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	21-08-2008	17/-	02/-	-	19/-
7.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	03-09-2008	-	-	01/-	01/-
8.	श्री बी. आर. धनगर, श्रम निरीक्षक	11-09-2008	01/01	01/01	-	02/02
9.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	27-10-2008	14/-	-	-	14/-
योग			37/05	16/01	02/-	55/06
10.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	10-04-2009	-	05/-	-	05/-
11.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	19-05-2009	09/-	04/-	02/-	15/-
12.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	03-06-2009	-	01/-	-	01/-
13.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	05-06-2009	-	01/-	-	01/-
14.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	04-07-2009	-	03/-	-	03/-
15.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	24-08-2009	-	01/-	-	01/-
16.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	23-09-2009	-	01/01	-	01/01
17.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	14-10-2009	-	-	10/10	10/10
18.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	12-11-2009	-	01/01	-	01/01
19.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	13-11-2009	-	02/01	02/02	04/03
20.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	14-11-2009	-	03/03	-	03/03
21.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	15-11-2009	-	01/01	-	01/01
22.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	21-11-2009	06/-	05/02	-	11/02
योग			15/-	28/09	12/12	57/21
दावा प्रकरण						
		प्रकरण संख्या	दावा की राशि	प्रभावित श्रमिक संख्या	विवरण	
23.	श्री एस. आर. अमलीवार, श्रम निरीक्षक	01	10,557.00	19	प्रति शिकायत दिनांक 3-7-2009 के आधार पर दावा प्रकरण दायर किया गया है.	

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 847) को जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिलेवार उर्वरक बितरण (वर्ष 2009-10)

(इकाई :- मे. टन में)

क्र.	जिला	सन्दीप 2009			रबी 2009-10 (जनवरी अंत तक)		
		लक्ष्य	भण्डारण	वितरण	लक्ष्य	भण्डारण	वितरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायपुर	176520	216940	194259	34120	41288	28821
2.	महासमुन्द	66600	67748	62597	26945	8024	2585
3.	धमतरी	65820	66268	62944	45263	9730	5912
4.	दुर्ग	135320	153456	147657	35513	19232	12258
5.	राजनांदगांव	63110	71042	68472	7739	4726	1266
6.	कबीरधाम	30290	23073	22111	4360	3517	1578
7.	खिलासपुर	110110	109825	105051	11839	14353	9155
8.	जांजगीर	84140	89095	82702	17002	10380	3531
9.	कोरवा	9080	6966	5954	214	1094	290
10.	रायगढ़	68500	72580	72580	26086	13554	7015
11.	जशपुर	4650	5872	4221	699	1719	752
12.	सरगुजा	51000	79696	48137	14018	17475	12901
13.	कोरिया	7350	6815	6117	5378	1522	1005
14.	जगदलपुर	15350	22219	18532	6193	3614	1165
15.	नारायणपुर	1100	667	636	280	142	12
16.	दंतेवाड़ा	850	1216	857	37	229	83
17.	बीजापुर	1160	1204	1098	39	87	5
18.	कांकिर	21050	28344	24051	19825	6593	2450
योग		912000	1023026	927976	255550	157279	91284

प्रपत्र "ब"

जिलेवार बीज वितरण वर्ष 2009-10

(इकाई :- किग. में)

क्र.	जिला	खरीफ बीज 2009			रबी बीज 2009-10 (जनवरी अंत तक)		
		लक्ष्य (3)	भण्डारण (4)	वितरण (5)	लक्ष्य (6)	भण्डारण (7)	वितरण (8)
1.	रायपुर	40637	40425.89	40364.80	7933	12857.83	12701.43
2.	महासमुन्द	25223	24834.51	24531.17	1276	2693.64	2663.84
3.	धमतरी	15395	16405.29	14316.41	1266	3561.91	3510.25
4.	दुर्ग	55277	56074.60	55299.36	21067	12167.48	12018.58
5.	राजनांदगाँव	22772	31901.41	30899.91	6113	7672.29	7670.27
6.	कबीरधाम	19245	21685.50	21648.75	6024	6187.74	6187.74
7.	बिलासपुर	27631	10256.67	30251.34	9300	9044.27	8907.98
8.	जाँजगीर	15325	24530.49	24278.92	2885	3274.88	3217.48
9.	कोरबा	7603	5462.74	5060.18	836	1010.07	969.28
10.	रायगढ़	24171	33483.50	31889.90	4396	4006.43	4006.43
11.	सरगुजा	40923	28540.13	28133.00	8800	10501.09	10501.09
12.	कोरिया	11546	11697.80	11649.30	2230	3926.70	3926.70
13.	जशपुर	8893	8035.66	7385.34	1564	1582.24	1582.24
14.	जगदलपुर	13546	16569.36	16461.71	2490	2653.41	2610.51
15.	दंतेवाड़ा	3522	4350.69	4339.38	334	422.98	422.98
16.	कांकेर	16883	14795.76	14190.76	1780	2097.01	2076.15
17.	बीजापुर	921	3040.00	3040.00	62	165.00	165.00
18.	नारायणपुर	487	618.00	551.77	88	184.03	184.03
योग		350000	372708.00	364292.00	78444	84009.00	83322.00

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 858) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2008-09 एवं 2009-2010 (21 जनवरी 2010) तक खनिज एवं पुलिस विभाग द्वारा अवैध कोयला परिवहन के
जिलेवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी

वर्ष 2008-2009

क्र.	जिला	खनिज विभाग			पुलिस विभाग		
		दर्ज प्रकरण की संख्या	की गई कार्यवाही	अर्थदण्ड	दर्ज प्रकरण की संख्या	की गई कार्यवाही	अर्थदण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायपुर	0	निरंक	0	0	निरंक	0
2.	भमतरी	0	निरंक	0	0	निरंक	0
3.	महासमुंद	0	निरंक	0	0	निरंक	0
4.	राजनांदगांव	0	निरंक	0	0	निरंक	0
5.	दुर्ग	0	निरंक	0	0	निरंक	0
6.	कबीरधाम	1	अर्थदण्ड वसूल किया गया	13177.00	0	निरंक	0
7.	कांकेर	0	निरंक	0	0	निरंक	0
8.	बस्तर	0	निरंक	0	0	निरंक	0
9.	दंतेवाड़ा	0	निरंक	0	0	निरंक	0
10.	बिलासपुर	12	अर्थदण्ड वसूल किया गया	214484	4	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
11.	जांजगीर-चांपा	3	अर्थदण्ड वसूल किया गया	54987.00	0	निरंक	0
12.	कोरबा	40	अर्थदण्ड वसूल किया गया	299100.00	9	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
13.	रायगढ़	22	7 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन. शेष 15 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूल किया गया.	1333184.00	24	15 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन. शेष 9 प्रकरणों में कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जुर्माना किया गया.	422002.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	जशपुर	0	निरंक	0	0	निरंक	0
15.	सरगुजा	0	निरंक	0	52	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
16.	कोरिया	2	अर्धदण्ड वसूल किया गया	88475.00	2	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
17.	केन्द्रीय ढङ्गनदस्त्र संचालनालय रायपुर.	9	अर्धदण्ड वसूल किया गया	197295.00	0	निरंक	0
योग		89		2200702.00	91		422002.00

वर्ष 2009-2010 (21 जनवरी 2010 तक)

क्र.	जिला	खनिज विभाग			पुलिस विभाग		
		दर्ज प्रकरण की संख्या	को गई कार्यवाही	अर्धदण्ड	दर्ज प्रकरण की संख्या	को गई कार्यवाही	अर्धदण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	रायपुर	2	अर्धदण्ड वसूल किया गया	40000.00	2	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
2.	धमतरी	0	निरंक	0	0	निरंक	0
3.	महासमुंद	0	निरंक	0	0	निरंक	0
4.	राजनांदगांव	0	निरंक	0	0	निरंक	0
5.	दुर्ग	0	निरंक	0	0	निरंक	0
6.	कबीरधाम	0	निरंक	0	0	निरंक	0
7.	कांकेर	8	अर्धदण्ड वसूल किया गया	253743.00	0	निरंक	0
8.	बस्तर	0	निरंक	0	0	निरंक	0
9.	दंतेवाड़ा	0	निरंक	0	0	निरंक	0
10.	किलामपुर	16	अर्धदण्ड वसूल किया गया	471575.00	19	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
11.	जांजगीर-चांपा	4	अर्धदण्ड वसूल किया गया	110776.00	13	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
12.	कोरवा	10	अर्धदण्ड वसूल किया गया	157646.00	7	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
13.	रायगढ़	61	12 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन शेष 49 प्रकरणों में अर्धदण्ड वसूल किया गया	2019204.00	28	22 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन. शेष 6 प्रकरणों में कलेक्टर रायगढ़ द्वारा जुर्माना किया गया.	233845.00
14.	जसपुर	0	निरंक	0	0	निरंक	0
15.	सरगुजा	3	अर्धदण्ड वसूल किया गया	187240.00	12	सभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	0
16.	कोरिया	18	अर्धदण्ड वसूल किया गया	326186.00	7	3 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत. शेष 4 प्रकरणों पर विवेचना की जा रही है.	0
17.	केन्द्रीय उड़नदस्ता संचालनालय रायपुर.	9	अर्धदण्ड वसूल किया गया	326799.00	0	निरंक	0
योग		131		3893169.00	89		113845.00

प्रपत्र "ब"

कोयला डामिंग की जानकारी

जिला-बिलासपुर

क्र. (1)	व्यक्ति या संस्थान का पूर्ण पता (2)	भण्डारण क्षेत्र (3)
1.	श्री अग्रसेन ट्रेडर्स, प्रो. श्री आनंद प्रकाश गोयल, निवासी 101, प्रियदर्शनी नगर, अग्रवाल कालोनी, बिलासपुर छ. ग.	ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. बिल्हा
2.	हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इंडिया) प्रायवेट लि. डायरेक्टर श्री पवन अग्रवाल, निवासी क्रांतिनगर, वार्ड क्र. 14, बिलासपुर.	ग्राम हिंडाडीह, तह. मस्तुरी
3.	हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इंडिया) प्रायवेट लि. डायरेक्टर श्री पवन अग्रवाल, निवासी क्रांतिनगर, वार्ड क्र. 14, बिलासपुर.	ग्राम खोदरी, तह. बिल्हा
4.	महावीर कोल डिपो, प्रो. श्री मनीष जैन, निवासी विनोबानगर, बिलासपुर	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
5.	इंडियन इंटरप्राइसेस, प्रो. श्री मनीष जैन, निवासी विनोबानगर, बिलासपुर	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
6.	राहुल इंटरप्राइसेस, प्रो. श्री प्रकाश अग्रवाल आ. श्री मोहनलाल अग्रवाल, निवासी ग्राम हरदी, तहसील बिल्हा.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
7.	सागर ट्रेडर्स प्रो. श्री अजय सिंह, आ. श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी अज्ञेयनगर, बिलासपुर.	ग्राम अमसेना, तह. तखतपुर
8.	श्री इंटरप्राइसेस प्रो. श्री अनिल कुमार मुंदड़ा आ. श्री व्ही. जी. मुंदड़ा, निवासी टिकरापारा, बिलासपुर.	ग्राम परसदा, तह. बिलासपुर
9.	साई गोविंद कोल एण्ड ट्रांसपोर्ट, प्रो. श्री अजय कुमार पाण्डेय आ. स्व. श्री मोहल कुमार पाण्डेय, निवासी-2थी 102, एस. एस. प्लाजा कोरवा, जिला कोरवा.	ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. बिल्हा
10.	मे. सुधीर कुमार मिल्होत्रा प्रो. सुधीर कुमार मिल्होत्रा, निवासी सी-33, अज्ञेयनगर, बिलासपुर.	ग्राम खरकेना, तह. बिल्हा
11.	गुडलक इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, आ. श्री बालूराम अग्रवाल, निवासी धिलाई.	ग्राम खरकेना, तह. बिल्हा
12.	1. अरिहंत कोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर-1. श्री विकास जैन आ. श्री विनोद जैन, 2. श्री विशाल जैन आ. श्री विनोद जैन, विनोबानगर, बिलासपुर.	ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. बिल्हा
13.	गोयल कोल साईडिंग प्रा. लि., डायरेक्टर - 1. श्री दीनदयाल गोयल आ. स्व. श्री मुरारीलाल गोयल 2. श्री अशोक गोयल आ. श्री दीनदयाल गोयल 3. श्री अरुण गोयल आ. श्री दीनदयाल गोयल निवासी सी-203, अशोका रतन, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर	ग्राम खोडसरा, तह. तखतपुर

(1)	(2)	(3)
14.	विजय सेल्स कार्पोरेशन प्रो. श्री प्रमोद सिंह ठाकुर, आ. स्व. श्री करतार सिंह, निवासी बी-239, अज्ञेयनगर, बिलासपुर.	ग्राम खरकोना, तह. तखतपुर
15.	बलाजी ट्रेडर्स प्रो. श्री विनोद कुमार अग्रवाल, आ. श्री राम कुमार अग्रवाल, निवासी आर्या कालोनी, तिफरा.	ग्राम अमसेना, तह. तखतपुर
16.	जय श्री कृष्णा ट्रेडर्स प्रो. श्री नरेश कुमार अग्रवाल आ. श्री लालचंद अग्रवाल, निवासी यदुनंदननगर, तिफरा.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
17.	लक्ष्मी एसोसिएट्स प्रो. श्री बजरंग अग्रवाल, आ. श्री सुभाष अग्रवाल, निवासी-मुंगेलीरोड, बिलासपुर.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
18.	हरमन्दर इंटरप्राइसेस प्रो. श्री गुरपाल सिंह, आ. श्री बिक्कर सिंह, निवासी 20 महिमा विहार, रींगरोड नं. 2, बिलासपुर.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
19.	जे. एस. ट्रेडर्स प्रो. श्री असपाल सिंह, आ. श्री गुरदेव सिंह, ए-20 ग्रोनगार्डन, मुंगेलीरोड, बिलासपुर.	ग्राम धौराभाठा, तह. बिल्हा
20.	लक्ष्मी एजेंसी प्रं. श्री हनुमान दास लाहोटी आ. श्री मदन गोपाल लाहोटी, निवासी भिलाई	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
21.	सराफ कोल प्रो. श्री महितोष सराफ आ. श्री छेदीलाल सराफ, निवासी जूनीलाईन, बिलासपुर.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
22.	लिंकसन कॉल एण्ड मिनरल प्र. लि. प्रो. श्री राजेश गुप्ता आ. स्व. श्री भरोसेलाल गुप्ता, निवासी भारतीय नगर, बिलासपुर.	ग्राम अमसेना, तह. तखतपुर
23.	श्री महादेव कोल ट्रेडर्स प्रो. श्रीमति उषा देवी पति श्री रामजीत सिंह, निवासी ए-133, अज्ञेयनगर, बिलासपुर.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
24.	प्रभाष ट्रेडर्स प्रो. श्री प्रभाष कुमार गुप्ता आ. श्री मोहन प्रसाद गुप्ता, निवासी-चकरघाटा.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
25.	छत्तीसगढ़ पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन लि. मि., सिरगिट्टी, बिलासपुर, डायरेक्टर श्री राजकुमार केडिया, निवासी विद्यानगर, शिव मंदिर रोड, बिलासपुर, छ. ग.	सिरगिट्टी बिलासपुर तह. बिलासपुर
26.	प्रकाश कोल सेल्स प्रो. श्री सी. पी. सन्नाड, निवासी इमलीघारा, बिलासपुर	ग्राम खरकेना, तह. तखतपुर
27.	बैदान्ता मिनरल्स (प्रा.) लि. मि., डायरेक्टर श्री प्रदीप अग्रवाल, आ. श्री. छाजूराम अग्रवाल, निवासी अज्ञेयनगर, बिलासपुर.	ग्राम पेण्टीडोह, तह. बिल्हा
28.	गंगा ट्रेडर्स, प्रो. श्री राजेश सिंह आ. श्री एस. एन. सिंह, निवासी-अज्ञेयनगर, बिलासपुर.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
29.	रायल एनर्जी प्रो. श्री जयप्रकाश लाल, आ. स्व. श्री कन्हैयालाल साह, निवासी न्यू चैला कालोनी, अज्ञेयनगर, बिलासपुर.	ग्राम हिरी, तह. बिल्हा

(1)	(2)	(3)
30.	सोनू कोल डिपो, प्रो. श्री रामकृष्ण वैश्य आ. श्री सीताराम वैश्य, निवासी जरहाभाटा, अजमेरनगर, बिलासपुर.	ग्राम पेण्ड्रीडीह, तह. बिल्हा
31.	महेश ट्रेडिंग कंपनी, प्रो. श्री महेश अग्रवाल आ. श्री गोपाल प्रसाद, निवासी भाटापारा.	ग्राम हरदी, तहसील बिल्हा
32.	श्री शारदा मां इंटरप्राइजेज प्रा. लि., मैनेजर श्री बी. के. सुर, निवासी बिलासपुर.	ग्राम हिरौं, तह. बिल्हा
33.	मे. महेश्वरी कोल बेनीफिकेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., डायरेक्टर श्री अनिल कुमार मुंदड़ा, आ. श्री व्ही. जी. मुंदड़ा, निवासी टिकरापारा, बिलासपुर.	ग्राम परसदा, तह. बिलासपुर
34.	हरमन इंटरप्राइसेस, पार्टनर 1. श्री उधम सिंह आ. श्री स्वर्ण सिंह, निवासी चकरभाटा 2. श्री मंजौत सिंह आ. श्री जगौर सिंह निवासी परिजात कालोनी, बिलासपुर.	ग्राम हिरौं, तह. बिल्हा
35.	आकाश ट्रेडर्स, श्री राजेन्द्र सिंह आ. स्व. श्री जगदीश सिंह, निवासी- यदुनंदननगर, सई विहार, बिलासपुर.	ग्राम धौराभाटा, तह. बिल्हा
36.	महावीर कोल एण्ड ट्रांसपोर्ट, प्रो. श्री अंकित जैन आ. श्री नरेश जैन निवासी टी. पी. नगर, कोरबा, जिला कोरबा.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
37.	राधास्वामी कोल कंपनी प्रो. श्री मनमोहन कौशल आ. स्व. श्री जीत सिंह कौशल, निवासी शुभम विहार, मुंगेली रोड, बिलासपुर.	ग्राम धौराभाटा, तह. बिल्हा
38.	श्री मारुति इंटरप्राइसेस, प्रो. संजू कुमार छगे आ. स्व. श्री गनतराव, निवासी सेक्टर 1, भिलाई, जिला दुर्ग.	ग्राम हिरौं, तह. बिल्हा
39.	राज संस कोल मर्चेंट, प्रो. श्री राजकुमार सोनी, आ. श्री रतनचंद सोनी, निवासी प्रियदर्शनी नगर, बिलासपुर.	नगर पंचायत खोदरी, तह. बिल्हा
40.	श्री टी. बालाजी इंटरप्राइजेज प्रो. श्री नटवर अग्रवाल आ. स्व. श्री गुलाबचन्द अग्रवाल, निवासी रानीरोड, कोरबा, जिला कोरबा.	ग्राम हरदी, तहसील बिल्हा
41.	कोल पाईट प्रो. श्री रविशंत अग्रवाल आ. श्री रामअवतार अग्रवाल, निवासी - बी-404, उषा हाईट्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर.	रानी दुर्गावती इण्डस्ट्रीयल एरिया अंजनी पेण्डूरोड.
42.	महावीर ट्रेडिंग कंपनी प्रो. श्री प्रवीण जैन, निवासी क्रांतीनगर, बिलासपुर	नगर पंचायत खोदरी, तह. बिल्हा
43.	पारस पावर एण्ड कोल बेनीफिकेशन लि. मि., श्री प्रशांत जैन, निवासी	ग्राम छम्हारडीह, तह. पधरिया
44.	श्री अजरंगबली कोल प्रो. श्री उमेश कुमार भावनानी, निवासी बिलासपुर	ग्राम खरकेना, तह. तराइनपुर
45.	लालवानी एण्ड संस प्रो. कल्याणदास लालवानी मेहरनगर, मेन रोड, बिलासपुर.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा

(1)	(2)	(3)
46.	अभिषेक ट्रेडर्स प्रो. अभिषेक सन्नाट, निवासी बिलासपुर	ग्राम खरकेना, तह. तखतपुर
47.	मे. राजेन्द्र प्रसाद पोद्दार प्रो. श्री मनोज कुमार आ. स्व. श्री जीवनराम अग्रवाल, निवासी ए-9 महावीर सिटी, राजकिशोर नगर, बिलासपुर.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
48.	एस. के. इंटरप्राइजेज श्री सुशील अग्रवाल मेनरोड, कोरबा	ग्राम पेण्डीडीह, तह. बिल्हा
49.	पशुपतिनाथ ट्रांसपोर्ट प्रो. श्री सजन अग्रवाल 28 शुभद्रा काम्पलेक्स टी. पी. नगर, कोरबा.	ग्राम मोहदा, तह. बिल्हा
50.	शुभम शिवम कोल डिपो प्रो. श्री रामचंद्र सितलानी, जिला बिलासपुर	ग्राम मोहदा, तह. बिल्हा
51.	कुशल इंटरप्राइजेज प्रो. श्री अजय सराफ, निवासी बिलासपुर	ग्राम परसदा, तह. बिलासपुर
52.	शुभम कोल ट्रेडर्स प्रो. श्री संजय कुमार सिंह आ. श्री सौताराम सिंह, राजकिशोर नगर बिलासपुर.	ग्राम धौराभाठा, तह. बिल्हा
53.	ओम कोल डिपो प्रो. श्री शेषमणी शर्मा आ. श्री मूनीलाल शर्मा, यदुनंदन नगर, बिलासपुर.	ग्राम धौराभाठा, तह. बिल्हा
54.	जयकोल ट्रेडर्स प्रो. श्री दिनेश कुमार मिनोचा आ. श्री अशोक मिनोचा निवासी नर्मदानगर, बिलासपुर.	ग्राम अमसेना, तह. तखतपुर
55.	अमित मिनरल्स कंपनी, प्रो. श्री अमित अग्रवाल आ. स्व. श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी रामसागरघरा, रायपुर.	ग्राम मोहदा, तह. बिल्हा
56.	फिल मिनरल्स बेनिफिकेशन एण्ड एनर्जी प्रा. लि., डायरेक्टर प्रदीप झा, निवासी बी-11, साई प्लाजा लिंकरोड, बिलासपुर (छ. ग.)	ग्राम बेलतरा, तह. बिलासपुर
57.	फिल सिस्टम, डायरेक्टर प्रदीप झा निवासी बी-11, साई प्लाजा, लिंकरोड, बिलासपुर (छ. ग.)	ग्राम बेलतरा, तह. बिलासपुर
58.	विंध्यावासिनी इंटरप्राइजेज प्रो. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन आ. स्व. श्री तोलाराम जैन, निवासी 102 शांति एपार्टमेंट, टिकराघारा, बिलासपुर.	ग्राम हरदी, तह. बिल्हा
59.	गुरुकृपा ट्रेडर्स प्रो. श्री सुरेन्द्र सिंह आ. श्री गुरुवचन सिंह निवासी सरगांव, पथरिया रोड.	ग्राम सरगांव, तह. पथरिया
60.	नर्मदा ट्रेडर्स प्रो. श्री मोहन लाल अग्रवाल, ग्राम किरना, बिलासपुर	ग्राम किरना, तह. पथरिया
61.	प्रतीक इंटरप्राइजेज प्रो. श्री शिव कुमार वैष्णव, एल. आई. जी. 90 शिवाजी नगर, कोरबा.	ग्राम खरकेना, तह. तखतपुर
62.	विमला फ्यूल्स प्रो. श्री संजय अग्रवाल आ. श्री इंंदरचन्द्र अग्रवाल, खुसौंघार, भिलाई.	ग्राम अटरो, तह. बिल्हा
63.	कश्यप कोल डिपो प्रो. श्री जागेन्द्र कश्यप आ. स्व. श्री शिव सहाय कश्यप, निवासी ग्राम बिल्हा, बेलतरा.	ग्राम लिम्हा (अधियारघारा) बेलतरा

(1)	(2)	(3)
64.	अग्रवाल कोल कार्पोरेशन प्रा. लि., प्रो. प्रदीप नामदेव, जरहाभाठा, बिलासपुर	ग्राम खेदरी, तह. बिल्हा
65.	अम्बे ट्रेडर्स प्रो. श्री विष्णु अग्रवाल आ. श्री बनारसी लाल अग्रवाल, निवासी-गांधी चौक, नैला.	ग्राम पेण्डुडोह, तह. बिल्हा
66.	नवीन कोल टिडपो प्रो. श्री मनीष अग्रवाल आ. श्री ओम्प्रकाश अग्रवाल	ग्राम भीराभाठा, तह. बिल्हा
67.	मुस्कान ट्रेडिंग कंपनी श्री नवीन केशरवानी आ. श्री मनोहर लाल केशरवानी, राजकिशोर नगर, बिलासपुर.	ग्राम सेंदरी, तह. बिलासपुर
68.	ओम साईं ग्रैंड मूवर्स प्रो. श्री अमित जायसवाल आ. श्री गोविंदलाल जायसवाल, निवासी रिंग रोड नं. 2, कॉलिंटी कुंज, बिलासपुर.	ग्राम सेंदरी, तह. बिलासपुर
69.	हरमंदर कोल बेनिफिकेशन प्रा. लि., प्रो. गुरुपाल सिंह, सी. 5 फस्ट फ्लोर नेताली काम्पलेक्स, जरहाभाठा, बिलासपुर.	ग्राम हरदो, तह. बिल्हा
70.	खरकिया इंटरप्राइजेज, प्रो. श्री बजरंग कुमार अग्रवाल आ. स्व. श्री प्रयाग राज अग्रवाल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फिलाई.	ग्राम हिरों, तह. बिल्हा
71.	महाकाल रिसोर्सेस प्रा. लि., प्रो. श्री प्रसांत सिंह आ. श्री शिव बहादुर, निवासी व्हीआईपी स्टेट, खम्हारडोह, रायपुर.	ग्राम हरदो, तह. बिल्हा
72.	मे. कृष्णा सेल्स, ग्राम प्रो. श्री आशुष अग्रवाल आ. श्री सतीष अग्रवाल, निवासी डी-104, देवेन्द्र नगर, रायपुर.	ग्राम हरदो, तह. बिल्हा

जिला-रायपुर

73.	मेसर्स विहार इण्डस्ट्रीज मोहसिन मार्केट, गुरुनानक चौक, रायपुर	सिलतारा (सोन्दा)
74.	इन्द्रमणी मिनरल (इण्डिया) प्रा. लि. संचालक सुनिल कुमार अग्रवाल, ग्राम कुरा, धरसोवा, जिला रायपुर.	कुरा
75.	बिमला इन्फ्राम्स्ट्रक्चर (इ) प्रा. लि., डायरेक्टर विमल लुनिया, ग्राम-मलौद, सिलतारी विकासखण्ड धरसोवा, जिला रायपुर.	मलौद/सिलतारी (कुरद)
76.	श्री दीपका शाह संचालक मे. व्ही. के. मिनरल्स प्रा. लि., पुलिस लाईन, नेहरू नगर, रायपुर.	सिलतारा (सोन्दा)

जिला-कोरबा

— जानकारी निरंक —

— निरंक —

जिला-जांजगीर-चांदा

77.	श्री तिरुपति कोल ग्रेडर्स श्याम मंदिर के पास खरसिया	मसुनिया खुर्द
78.	श्री हंसमुख लाल पटारिया, निवासी चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
79.	श्री आनंद अग्रवाल निवासी सबो	मसुनिया कला

(1)	(2)	(3)
जिला-दुर्ग		
80.	श्री ओम प्रकाश ट्रेडिंग, ग्राम जंजगिरी, तह. धमधा, जिला दुर्ग	जंजगिरी
81.	मेसर्स गुडलक इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री अनिल अग्रवाल, निवासी वैशाली नगर, भिलाई, जिला दुर्ग.	हथखोज
82.	मेसर्स जय इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री अशोक महेश्वरी, निवासी न्यू खुराीपार, भिलाई जिला दुर्ग.	हथखोज
83.	मेसर्स आयुष इण्डस्ट्रीज प्रो. श्रीमति नीतू अग्रवाल, निवासी खुराीपार, जिला दुर्ग	हथखोज
84.	मेसर्स सागर इण्डस्ट्रीज 17/ए हैवी इण्डस्ट्रीज एरिया हथखोज, भिलाई, जिला दुर्ग	हथखोज
85.	मेसर्स श्याम इण्डस्ट्रीज 17/ए हैवी इण्डस्ट्रीज एरिया हथखोज भिलाई, जिला दुर्ग	हथखोज

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 521) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिलेवार जानकारी वर्ष 2009

क्रमांक (1)	जिला (2)	वर्ष 2009 में खरीफ फसल का कुल उत्पादन (मे. टन) (3)	वर्ष 2009 में धान फसल का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)
1.	रायपुर	701351	529148
2.	महासमुन्द	298345	260661
3.	धमतरी	269846	152432
4.	दुर्ग	454218	464617
5.	राजनांदगाँव	240203	271256
6.	कबीरधाम	150272	95047
7.	बस्तर	328554	240340
8.	नारायणपुर	41620	24165
9.	कांकेर	248866	171869
10.	दन्तेवाड़ा	163639	130262
11.	खीजापुर	44232	61144
12.	बिलासपुर	461839	323407
13.	जांजगीर-धांपा	486703	288940
14.	कोरबा	120386	109650
15.	सरगुजा	455512	311848
16.	कोरिया	103933	70742
17.	रायगढ़	308619	242366
18.	जशपुर	226480	180921
योग राश्व		5104618	3928815

प्रपत्र "ब"

छ. ग. रान्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्यालय रायपुर

- प्रश्न (क) वर्ष 2009 में खरीफ की फसल का कुल कितना उत्पादन हुआ ? जिलेवार जानकारी दें।
उत्तर (क) प्रस्तावित कृषि विभाग से संबंधित है।
- प्रश्न (ख) प्रदेश में वर्ष 2009 में कुल कितने हेक्टेयर में धान की फसल ली गई ? जिलेवार जानकारी दें ?
उत्तर (ख) प्रस्तावित कृषि विभाग से संबंधित है।
- प्रश्न (ग) वर्ष 2009-10 में किसानों से समर्थन मूल्य पर कितना धान खरीदा गया ? जिलेवार जानकारी दें।
उत्तर (ग) खरीफ वर्ष 2009-10 में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की नेट के आधार पर जिलेवार जानकारी दिनांक 01-02-2010 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	नेट में अपलोड खरीदी आंकड़े (मात्रा टन में)
(1)	(2)	(3)
1.	रायपुर	929906
2.	महासमुन्द	419106
3.	धमतरी	320108
4.	दुर्ग	568342
5.	राजनंदगाँव	175124
6.	कवर्धा	51666
7.	बिलासपुर	254894
8.	कोरबा	36657
9.	जांजगीर	413229
10.	रायगढ़	316487
11.	जसपुर नगर	20122
12.	अम्बिकापुर	94248
13.	कोरिया	16940
14.	कांकेर	92555
15.	जगदलपुर	78811
16.	दंतेवाड़ा	13368
योग		3801563

परिशिष्ट "पांच"

[तारीकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 813) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जांजगीर-बाँपा जिले में मार्च 2007 से मार्च 2009 तक शासन द्वारा स्वीकृत नलजल योजनाओं का विवरण

क्र.	विकासखण्ड	गाँव का नाम	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाख)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नखागढ़	अमोरा	40.56
2.	नखागढ़	महंत	49.04
3.	नखागढ़	खोखरा	65.15
4.	अकस्वारा	पकरिका (बु)	38.23
5.	बालीदा	पिसीद	34.74
6.	पामगढ़	डोंगाबोहरीद (आवर्धन)	35.00
7.	डभरा	डभरा (आवर्धन)	97.00
8.	डभरा	फरसखानी	31.51
9.	मालखरीदा	बंदीरा	35.41
10.	मालखरीदा	उपेरा	72.60
योग			499.24

प्रपत्र "स"

जांजगीर-चांपा जिले की प्रशासनिक "क" की अवधि (मार्च 2007 से मार्च 2009) में शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं में योजना के अपूर्ण रहने के कारण सहित विवरण

क्र.	विकासखण्ड	गांव का नाम	योजना के किस अवयव के कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण योजना अपूर्ण है की जानकारी	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नवागढ़	अमौरा	योजना में राईजिंग मेन का कार्य शेष है	सीधे पंपिंग से जल प्रदाय चालू है.
2.	नवागढ़	महंत	योजना में राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है	जल प्रदाय अप्रारंभ
3.	नवागढ़	खोखरा	योजना में टंकी, राईजिंग मेन, एवं पंप हाउस का कार्य शेष है	जल प्रदाय अप्रारंभ
4.	अकलखारा	पकरिया (शु)	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है	जल प्रदाय अप्रारंभ
5.	बलीदा	पिसौदा	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है	जल प्रदाय अप्रारंभ
6.	पामगढ़	डोंगाकोहरौद (आवर्धन)	योजना में टंकी, राईजिंग मेन एवं पंप हाउस का कार्य शेष है	जल प्रदाय अप्रारंभ
7.	डभरा	फरसवानी	योजना में टंकी एवं राईजिंग मेन का कार्य शेष है	सीधे पंपिंग से जल प्रदाय चालू है
8.	मालखरीदा	बंदीरा	योजना में टंकी एवं राईजिंग मेन का कार्य शेष है	जल प्रदाय अप्रारंभ

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 313) के भाग (ग) की जानकारी]

कोरिया जिले की स्वीकृति हेतु प्रेषित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अविद्युतीकृत रिहायशी क्षेत्रों (मजरी/टोलों/मोहल्लों) की विकासखण्डवार संख्या

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	अविद्युतीकृत रिहायशी क्षेत्रों (मजरी/टोलों/मोहल्लों) की संख्या (3)
1.	भरतपुर	321
2.	बैकुण्ठपुर	586
3.	सोनहट	143
4.	मनेन्द्रगढ़	369
5.	खड़गवा	410
कुल		1829

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 498) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोरबा जिले में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा स्वीकृत एवं निजी क्षेत्र में प्रस्तावित/निर्माणाधीन विद्युत गृहों की विकासखंडवार जानकारी

क्र. (1)	कंपनी का नाम (2)	विकासखण्ड (3)	क्षमता मेगावाट में (4)	टीप (5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर	कटघोरा	500 मेगावाट	कोरबा पश्चिम ताप विद्युत परियोजना अन्तर्गत विस्तार इकाई निर्माणाधीन.
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर	कोरबा	2×500 मेगावाट	प्रस्तावित
3.	मेसर्स लॉको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	कोरबा	2×300+2×360 मेगावाट	निर्माणाधीन
4.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा.	कोरबा	4×300 मेगावाट	निर्माणाधीन
5.	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड, हैदराबाद.	पाली	2×50 मेगावाट	प्रस्तावित
6.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	कटघोरा	2×135 मेगावाट	प्रस्तावित
7.	मेसर्स धीरू पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	कटघोरा	3×350 मेगावाट	प्रस्तावित
8.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	कटघोरा	2×30 मेगावाट	प्रस्तावित
9.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	कटघोरा	4×300 मेगावाट	प्रस्तावित
10.	मेसर्स चंदना विद्युत लिमिटेड, रायपुर	कटघोरा	4×135 मेगावाट	प्रस्तावित
11.	मेसर्स चंदना एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	कटघोरा	2×35 मेगावाट	प्रस्तावित
12.	मेसर्स स्वास्तिक पावर एण्ड मिनरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में स्वास्तिक स्पॉज एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड).	पाली	1×50 मेगावाट	प्रस्तावित
13.	मेसर्स ए. टी. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर	कटघोरा	1×30 मेगावाट	प्रस्तावित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	मेसर्स सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागपुर	कटघोरा	1×250 मेगावाट	प्रस्तावित
15.	मेसर्स एस. वी. पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	पाली	2×63 मेगावाट	प्रस्तावित
16.	मेसर्स मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर.	पाली	1×300 मेगावाट	प्रस्तावित
17.	मेसर्स के. एनजी कंपनी लिमिटेड, रायपुर	करतला	1×30 मेगावाट	प्रस्तावित
18.	मेसर्स जयशंकराजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता		600 मेगावाट	प्रस्तावित

प्रपत्र "ब"

परियोजनावार शासकीय व निजी भूमि का विवरण तथा अधिग्रहण की स्थिति

क्र.	कंपनी का नाम	निजी भूमि			शासकीय भूमि			टीप
		अर्जन हेतु कुल प्रस्तावित भूमि	अर्जित भूमि	अर्जन हेतु शेष भूमि	हस्तांतरण हेतु कुल प्रस्तावित भूमि	हस्तांतरित भूमि	हस्तांतरण हेतु शेष भूमि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	उत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर	96.710 हेक्टेयर	96.710 हेक्टेयर	-	126.062 हेक्टेयर	126.062 हेक्टेयर	-	पूर्व से अधिग्रहित
2.	उत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर	155.084 हेक्टेयर	-	155.084 हेक्टेयर	236.411 हेक्टेयर	-	236.411 हेक्टेयर	देवू पावर लिमिटेड को अधिग्रहित भूमि
3.	मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	1099.38 एकड़	493.38 एकड़	606.00 एकड़	338.26 एकड़	297.90 एकड़	40.36 एकड़	1620 मेगावाट परियोजना हेतु
4.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा.	-	-	-	-	-	-	कालको द्वारा पूर्व से अर्जित भूमि पर निर्माण किया जा रहा है.
5.	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड, हैदराबाद.	68.769 हेक्टेयर	-	68.769 हेक्टेयर	-	-	-	पूर्व से अधिग्रहित
6.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	78.049 हेक्टेयर	78.049 हेक्टेयर	-	30.444 हेक्टेयर	30.444 हेक्टेयर	-	भूमि अधिग्रहित
7.	मेसर्स धीरू पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	337.27 एकड़	-	337.27 एकड़	165.74 एकड़	125.00 एकड़	40.74 एकड़	भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में
8.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	8.961 हेक्टेयर	8.961 हेक्टेयर	-	-	-	-	कम्पनी द्वारा सीधे भूमि का क्रय किया गया
9.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	426.96 एकड़	75.23 एकड़	351.73 एकड़	431.06 एकड़	-	431.06 एकड़	भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	मेसर्स वंदना विद्युत लिमिटेड, रायपुर	277.10 एकड़	277.10 एकड़	-	367.09 एकड़	367.09 एकड़	-	अधिग्रहण पूर्ण.
11.	मेसर्स वंदना एनर्जी एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर.	15.26 एकड़	15.26 एकड़	-	57.69 एकड़	57.69 एकड़	-	अधिग्रहण पूर्ण.
12.	मेसर्स स्वास्तिक पावर एण्ड मिनरल रिसेसर्सेस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में स्वास्तिक स्पॉज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड)	-	-	-	7.247 हेक्टेयर	-	7.247 हेक्टेयर	निजी भूमि हेतु कंपनी से आवेदन प्राप्त नहीं.
13.	मेसर्स ए. टी. इस्थाल एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर	-	-	-	-	-	-	आवेदन प्रक्रिया में अतः जानकारी नहीं दी जा रही
14.	मेसर्स सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागपुर	207.76 एकड़	-	207.76 एकड़	-	-	-	भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में
15.	मेसर्स एस.जी. पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	219.90 एकड़	219.90 एकड़	-	-	-	-	अधिग्रहण पूर्ण
16.	मेसर्स मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड, रायपुर	19.44 एकड़	-	19.44 एकड़	138.931 हेक्टेयर	138.931 हेक्टेयर	-	भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में
17.	मेसर्स के. एनर्जी कंपनी लिमिटेड, रायपुर	36.70 एकड़	-	36.70 एकड़	13.12 एकड़	-	-	भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में
18.	मेसर्स जयबालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता	-	-	-	-	-	-	आवेदन प्रक्रिया में अतः जानकारी नहीं दी जा रही.

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 688) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

01 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009 तक अवैध हीरा उत्खनन के प्रकरणों की जानकारी

क्रमांक (1)	अप. दर्ज क्रमांक व धारा (2)	दिनांक (3)	नाम आरोपी (4)	की गई कार्यवाही का विवरण (5)
गृह विभाग				
1	70/09 379, भादवि 4 (21) माईनिंग एक्ट	14-11-09 के 17.00 बजे	हेम सिंह पिता भारत सिंह ओटी उम्र 32 वर्ष साकिन राजपुर थाना, मैनपुर.	दि. घ. स. को आरोपी द्वारा ग्राम राजपुर से हीरा जैसा चमकीला खनिज पदार्थ को चोरी से बेचने के फिराक में था जिसे मुखबिर की सूचना पर संदेह कर तलाशी लेने पर उक्त मशरूफा सहित पकड़ा गया. प्रकरण में चालान पेश कर दिया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है.
2	72/09 379, भादवि 4 (21) माईनिंग एक्ट	16-11-09 के 15.25 बजे	भंवर सिंह उर्फ मुन्ना धुव पिता मंगल सिंह धुव उम्र 38 वर्ष साकिन, गौरघाट थाना, मैनपुर.	दि. घ. स. को आरोपी घटना पर अवैध रूप से हीरा फलर चोरी कर बेचने की फिराक में घुम रहा है जो मीके पर पकड़कर तलाशी लेने पर उक्त मशरूफा सहित पकड़ा गया. प्रकरण में चालान पेश कर दिया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है.
3.	79/09 379, 34 भादवि 4 (21) माईनिंग एक्ट	30-12-09 के 17.15 बजे	1. भोखम सिंह पिता भगोली गोड़, 50 साल साकिन, खरखरा. 2. कमलेश पिता बंशीलाल पटेल, उम्र 46 साल साकिन, खरखरा थाना, चुरा. 3. दुर्वोधन पिता जगत राम यादव, उम्र 35 वर्ष साकिन, कायवा थाना देवभोग.	दि. घ. स. को आरोपी द्वारा एक राय होकर अवैध रूप से हीरा फलर चोरी कर बेचने की फिराक में घुम रहे थे. मीके पर पकड़ने पर उक्त मशरूफा पकड़ा गया. प्रकरण में चालान पेश कर दिया गया है. जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.

घन विभाग

क्रमांक (1)	पो. ओ. आर. दर्ज क्रमांक (2)	दिनांक (3)	नाम आरोपी (4)	की गई कार्यवाही का विवरण (5)
4	3117	14-08-2009	लक्षणा	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.
5	3118	20-08-2009	लक्षणा	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	3119	28-08-2009	सापता	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.
7	3120	31-08-2009	सापता	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.
8	3121	05-09-2009	सापता	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.
9	3122	10-09-2009	सापता	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.
10	3123	15-09-2009	सापता	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.
11	3124	17-09-2009	सापता	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.
12	3125	21-09-2009	सापता	प्रकरण की विवेचना प्रक्रियाधीन है.

क्रमांक (1)	घन अपराध दर्ज क्रमांक (2)	दिनांक (3)	नाम आरोपी (4)	की गई कार्यवाही का विवरण (5)
13	1874/18	19-10-2009	मगधर बल्द बलीराम 40 अन्य, बरदुला	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 518/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
14	1874/19	20-10-2009	सागर एवं एक अन्य सागर/सुखचंद गोड़ बरदुला	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 513/09 के तहत दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
15	1874/20	21-10-2009	हुमन/रामसिंग गोड़, बरदुला	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 512/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
16	1875/08	22-10-2009	अंकालु/बनवाराम महार एवं एक अन्य हुमरघाट	दिनांक 22-11-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 547/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	1874/21	22-10-2009	सागर/सुखचंद एवं एक अन्य बरदुला	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 517/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
18	1874/22	23-10-2009	गोलू बल्द तुलाराम एवं तीन अन्य चौईगांव	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 515/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
19	2425/11	24-10-2009	फुलसिंग बल्द जुगरू गोड़ बरदुला दो अन्य	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 514/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
20	2425/10	24-10-2009	सागर बल्द सुखचंद बरदुला	दिनांक 07-11-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 516/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
21	1874/23	24-10-2009	जागेश्वर/पुरारद गोड़ बरदुला	दिनांक 22-10-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 548/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.
22	2425/12	24-10-2009	मशाराम/अगनू राम गोड़ बरदुला	दिनांक 22-10-2009 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 549/09 दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है.

खनिज विभाग

क्रमांक (1)	एफ.आई.आर. दर्ज क्रमांक (2)	दिनांक (3)	नाम आरोपी (4)	कौ गई कार्यवाही का विवरण (5)
23	एफ.आई.आर. क्रमांक 243/09 धारा 379, 34 आई.पी.सी., 4/21.	24-10-2009	श्री अशोक बाप पिता श्री रामेश्वर बाप, उम्र 35 वर्ष निवासी सागन्वाहली धाना, खोखररा, जिला कालाहण्डी (उड़ीसा) श्री भवानी शंकर पिल्ल सुकुल सिंग नायक, उम्र 40 वर्ष निवासी सागन्वाहली, धाना खोखररा, जिला कालाहण्डी (उड़ीसा)	दिनांक 24-10-2009 एफ.आई.आर. क्रमांक 243/09 धारा 379, 34 आई. पी. सी. 4/21 खनिज के तहत दर्ज किया गया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.

परिशिष्ट "नौ"

[तारकीकृत प्रश्न संख्या 21 (क्र. 248) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

स. क्र.	संस्था का नाम	विकासखण्ड	छात्र संख्या						व्याख्याता/शिक्षा कर्मी		
			नवमी	दसवीं	योग	बारहवीं	बारहवीं	योग	स्वीकृत	भरे	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	उ. मा. वि. क. जगदलपुर	जगदलपुर	384	296	680	237	183	420	34	27	7
2.	उ. मा. वि. क्र.-2 जगदलपुर	जगदलपुर	127	134	261	115	69	184	21	15	6
3.	उ. मा. वि., आसना	जगदलपुर	108	92	200	57	35	92	21	11	10
4.	उ. मा. वि., धरमपुरा	जगदलपुर	207	170	377	95	65	160	21	17	4
5.	उ. मा. वि., आढ़ावाल	जगदलपुर	203	125	328	86	30	116	21	13	8
6.	उ. मा. वि., नानगुर	जगदलपुर	125	102	227	70	54	124	21	5	16
7.	उ. मा. वि., नगरनार	जगदलपुर	251	77	328	96	41	137	21	9	12
8.	उ. मा. वि., पंडरीपानी	जगदलपुर	100	90	190	54	54	108	11	5	6
9.	उ. मा. वि., जामवाड़ा	जगदलपुर	98	66	164	24	7	31	11	2	9
10.	उ. मा. वि., निवानार	जगदलपुर	47	37	84	6	3	9	11	4	7
11.	उ. मा. वि., पुसपाल	जगदलपुर	80	45	125	30	26	56	11	2	9
12.	उ. मा. वि., रेल्वे कालोनी जगदलपुर (स्थानीय व्यवस्था के तहत संचालित)	जगदलपुर	164	135	299	37	0	37	6	6	0
योग			1894	1369	3263	907	567	1474	210	116	94

प्रपत्र "ब"

हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने के मापदण्ड

हाईस्कूल खोलने का मापदण्ड

1. चार माध्यमिक शाला पर एक हाईस्कूल रखा जावे।
2. विद्यार्थियों को 8 कि.मी. से अधिक न चलना पड़े।
3. न्यूनतम छात्र संख्या 50 होगी।
4. अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में जहां साक्षरता का प्रतिशत कम है हाईस्कूल खोलने की प्राथमिकता दी जायेगी।

हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का मापदण्ड

1. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में जहां हाईस्कूल पूर्व से संचालित है उन्हें ही उन्नत किया जाये।
2. प्रति दो हाईस्कूल पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उन्नत किया जाये।
3. विद्यार्थियों को 8 कि.मी. से अधिक न चलना पड़े।
4. छात्रों की न्यूनतम संख्या 20 हो।

परिशिष्ट "दस"

[तारोक्त प्रश्न संख्या 22 (क्र. 837) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. सं. (1)	220/132 के. व्ही. परियोजना लाइन का नाम (2)	राशि (3)	फर्म, जिसे आदेश प्रसारित किया गया (4)
1.	सेकेण्ड सर्किट स्ट्रॉंगिंग 132 के. व्ही. गुस्कर-कांकेर लाइन, लेबर चार्ज.	रु. 20,92,087.00	श्री. राधेन्द्र सिंह ठाकुर, ए-8 मिनोबा कालोनी, बिलासपुर.
2.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र सिलहरा (रायपुर) से मे. छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रीसिटी तक 132 के. व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन, लेबर चार्ज.	रु. 17,55,088.00	श्री. राधेन्द्र सिंह ठाकुर, ए-8 मिनोबा कालोनी, बिलासपुर.
3.	सेकेण्ड सर्किट स्ट्रॉंगिंग 132 के. व्ही. कोतमीकरता-मनेन्द्रगढ़ लाइन, लेबर चार्ज.	रु. 20,85,300.00	श्री. राधेन्द्र सिंह ठाकुर, ए-8 मिनोबा कालोनी, बिलासपुर.
4.	132 के. व्ही. कावर्धा-पण्डरिया लाइन, सप्लाय एवं लेबर चार्ज.	रु. 9,55,26,653.00	के.ई.सी. इण्टरनेशनल लि., गुदगांव.
5.	132 के. व्ही. महासमुन्द-बागवाहरा लाइन, सप्लाय एवं लेबर चार्ज.	रु. 11,66,81,878.00	के.ई.सी. इण्टरनेशनल लि., गुदगांव.
6.	220 के. व्ही. छुरी-बिलासपुर लाइन, सप्लाय एवं लेबर चार्ज.	रु. 43,29,82,298.00	के.ई.सी. इण्टरनेशनल लि., गुदगांव.
7.	220 के. व्ही. रायगढ़-सरायपाली लाइन, सप्लाय एवं लेबर चार्ज.	रु. 35,14,82,466.00	गेमन इण्डिया लि., नागपुर.
8.	220 के. व्ही. उपकेन्द्र डोमा (रायपुर) से प्रस्तावित 132 के. व्ही. उपकेन्द्र जटन (दुर्ग) तक 132 के. व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन, लेबर चार्ज.	रु. 63,61,278.00	श्री. अश्विनी एसोसिएट्स सी-277/6 त्रिभुवनेश्वरी नगर रायपुर.
9.	सेकेण्ड सर्किट स्ट्रॉंगिंग कार्य 132 के. व्ही. सराईपाली-झलप लाइन, लेबर चार्ज.	रु. 29,20,000.00	श्री. जोगेवार कंस्ट्रक्शन कम्पनी, खैरागढ़.

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क. 886) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

केन्द्र शासन द्वारा आगवानी फसलों के लिये प्रदाय अनुदान की जानकारी
(जनवरी 2006 से 31 दिसम्बर 2009 तक)

		(रशि लाख रु. में)
क्र. (1)	योजना का नाम (2)	देय अनुदान रशि (3)
1.	फल विकास योजना	2,582.92
2.	सब्जी विकास योजना	900.41
3.	मसाला विकास योजना	3,478.04
4.	पुष्प विकास योजना	710.99
5.	औषधि एवं सुगंधित फसल विकास योजना	2,724.44
6.	राष्ट्रीय बांस मिशन योजना	40.00
योग		10436.80

प्रपत्र "ब"

जनवरी 2006 से 31 दिसम्बर 2009 तक लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या

(राशि लाख रु. में)		
क्र. (1)	जिले का नाम (2)	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या (3)
1.	रायपुर	6342
2.	भमतरी	5740
3.	महासमुन्द	1670
4.	दुर्ग	16171
5.	राजनांदगांव	5165
6.	फर्रुखपुर	11325
7.	बिलासपुर	17349
8.	सरगुजा	16794
9.	रायगढ़	15212
10.	जसपुर	1934
11.	जांजगीर	1552
12.	कोरवा	16468
13.	कोरिया	11945
14.	जगदलपुर	27573
15.	दंतेवाड़ा	2225
16.	फांकेर	3822
17.	बीजापुर	1668
18.	नारायणपुर	5238
योग		1,68,193

परिशिष्ट "बारह"

[तारिकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 826) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

जैजपुर विधान सभा क्षेत्र के अनर्गत प्रश्न में उल्लेखित विफल/खराब ट्रांसफार्मरों की स्थिति

क्र.	ग्राम/स्थान का नाम	स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता (के. व्ही. ए.)	विफल/खराब होने की तिथि	बदलने/विद्युत आपूर्ति सामान्य करने की तिथि	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पोद्दीशंकर (परसापाली)	25	31-12-2009	30-01-2010	
2.	चोरभट्टी	63	13-11-2009	20-11-2009	
3.	करनीद	100	28-12-2009	12-01-2010	
4.	बेलादुला	100	02-01-2010	14-01-2010	
5.	कचंदा मोड़ जैजपुर	63	25-05-2009	25-06-2009	
6.	सेंद्रस की पुरानी बस्ती	100	04-01-2010	15-01-2010	
7.	हसीद के तेंदुवाही तालाब भाटापारा	100	21-09-2009	22-09-2009	निम्न टाइम केवल खराब पाया गया, जिसे दूसरे दिन दुरुस्त कर दिया गया.
8.	खैरझिटी	100	29-12-2009	04-01-2010	एक फेस एल.टी. लीड कटा पाया गया, जिसे सही किया गया.
9.	परसदा व चिस्ता के बीच	100	03-01-2010	04-01-2010	एक फेस एल.टी. लीड कटा पाया गया, जिसे सही किया गया.